न्यायालय--जिलाधिकारी, सहरसा।

वासगीत/विविध वाद संख्या–187/2010–11

दिनेश पौद्दार बनाम राजकिशोर पासवान

–:: आदेश ::–

28.3.15 प्रस्तुत वाद के आवेदक दिनेश पौद्दार पिता स्व0 जगदेव पौद्दार साकिन–हरिपुर, थाना–सोनबर्षा, जिला–सहरसा के द्वारा दाखिल आवेदन अन्तर्गत धारा–21 (बिहार पीभिलेज परसन होम स्टीड टीडेन्सी एक्ट–1947) के आधार पर इस कार्यवाही का प्रारंभ हुआ है, जिसमें आवेदक द्वारा द्वितीय पक्ष सदस्य राज किशोर पासवान पिता स्व0 भूमि पासवान के नाम निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक का कहना है कि मौजा–हरिपुर, तौजी नं0–5161, थाना नम्बर–06, खाता पु0–165, नया–361, खेसरा पु0–943 एवं 944, नया 1528, रकवा–0–03 डीसमील में वर्णित जमीन पर उनका स्वामित्व है। उक्त जमीन उन्हें रजिस्टर केवाला दिनांक 22.08.1990 से प्राप्त है, जिसकी जमाबन्दी भी उनके नाम दर्ज है, जिसका रेन्ट अदा कर अद्यतन रेन्ट रसीद उनके द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त वर्णित जमीन पर बहत कवल से ही उनका आवासीय दखल है, जिसमें वह परिवार के साथ निवास करते है।

इनका आगे कहना है कि दिसम्बर, 2005 के प्रथम सप्ताह में द्वितीय पक्षकार प्रश्नगत जमीन को लेकर विवाद किया जाने लगा। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उन्हें वर्णित जमीन के संदर्भ में वासगीत पर्चा प्राप्त है। उक्त के वावत जानकारी होने पर मेरे द्वारा इस संबंध में अंचलाधिकारी, सोनवर्षा जाकर दिनांक 20.12.2015 को इस आशय का आवेदन दाखिल किया गया कि द्वितीय पक्ष सदस्य का दखल विवादित जमीन पर नहीं है, परन्तु अंचलाधिकारी द्वारा उक्त के बाद भी गलत तरीके से द्वितीय पक्ष के नाम पर्चा निर्गत कर दिया गया।

इनका पुनः कहना है कि आपत्ति आवेदन इनके द्वारा अपर समाहर्त्ता, सहरसा को भी दी गई, परन्तु उनके द्वारा भी कोई विधि सम्मत निर्णय न लेकर दिनांक 16.07.2010 को मुझे सक्षम न्यायालय में अपील दायर किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

इनका पुनः कहना है कि द्वितीय पक्ष का न तो प्रश्नगत जमीन पर कोई दखल है, न ही उनका दावा सही है और न ही वे Privileged person है। द्वितीय पक्ष के सदस्य के नाम निर्गत वासगीत पर्चा गलत है, जो गलत तथ्यों के आधार पर अंचलाधिकारी को भी वास्तविकता से अवगत कराये बिना निर्गत किया गया है।

अन्ततः इनका कहना है कि द्वितीय पक्ष के नाम निर्गत वासगीत पर्चा जो वासगीत पर्चा वाद संख्या–02/02–03/06–07 के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 02.06.2003 व 20.06.2003 के आधार पर दिनांक 04.07.2007 को निर्गत किया गया है को रद्द किया जाय।

द्वितीय पक्ष भी विभिन्न तिथियों को उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखे। अंचल कार्यालय अभिलेख संख्या–02/02–03/06–07 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्ष राजकिशोर पासवान द्वारा पर्चा हेतु आवेदन दिनांक 24.07.2003 को दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में उनका कहना है किं वर्णित जमीन पर उनका लम्बे अरसे से या अपने दादा जी के साथ से आवासीय दखल है और उक्त जमीन के अलावा उन्हें और कोई जमीन नहीं है।

28.3.15

मामले की जाँच संबंधित हल्का कर्मचारी द्वारा दिनांक 13.05.2003 को किया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि – ''लाभार्थी को वर्णित खाता, खेसरा, रकवा की जमीन में फुस का घर बना हुआ है एवं नीचे नींव खोदा हुआ है। जो इन्दिरा आवास दिया गया है। आवेदित जमीन भू–स्वामी से दस्तावेज संख्या–13775 दिनांक 22.08.1990 द्वारा श्री बिनोद पौद्दार वो दिनेश पौद्दार, पिता–जयदेव पौद्दार, साकिन–हरपुर खरीद लिये है। आवेदक को अन्य बसने लायक जमीन नहीं है एवं भूमिहीन है एवं हरिजन है। आवेदक को मात्र दो डीसमल रकवा का मकानमय सहन के रूप में दखल है।

अतः मान्य हो तो दो डीसमल रकवा का वासगीत पर्चा आवेदक के नाम निर्गत किया जा सकता है।''

दिनांक 20.05.2003 को अंचल निरीक्षक के द्वारा भी नापी पश्चात वासगीत पर्चा निर्गत किये जाने का अनुशंसा किया गया है। तत्पश्चात अंचल अमीन द्वारा नापी के उपरान्त द्वितीय पक्ष सदस्य के दखल में दो डीसमल जमीन होने का रिर्पोट किया है।

Section 2 (i) if Bihar privileged person homestead tenancy act-1947 reads as follows-

"Privileged person" means a person –

(1) who is not a proprietor, tenure holder, under tenure holder or a mahajan; and

(2) who, besides his homestead, holds no other land or holds any such land exceeding one acre"

इस प्रकार द्वितीय पक्ष के सदस्य स्पष्ट रूपेण न तो खाताधारी है और न ही वर्णित जमीन के अलावा उनकी कोई अन्य आवासीय भूमि है। द्वितीय पक्ष बिना किसी संदेह के पर्चा हेतु उचित हकदार है।

अतः द्वितीय पक्ष के नाम निर्गत पर्चा, जो विधिवत रूप से जाँचोपरान्त व सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई के पश्चात निर्गत किया गया है, उचित और सही है। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त एवं सुनवाई के उपरान्त मैं इस निर्णय पर हूँ कि द्वितीय पक्ष के नाम निर्गत पर्चा सही है। वासगीत पर्चा निर्गत करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। इसी समीक्षा के साथ आवेदक के अपील आवेदन को खारीज किया जाता हैं ।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

26.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

26.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1511-2 /विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अंचलाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
26.09.17 जिला विधि शाखा, सहरसा।